झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
भूतल, एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

कार्यालय आदेश

का०आ०सं०–परि०वि०(स्था०)–33/2018 07 **/राँची,दिनांक** 21.05.2021

परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश सं०–70, सह–पठित ज्ञापांक–549, दिनांक–27.05.2019 के द्वारा कुल 09 सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को मोटरयान निरीक्षक के रिक्त पद पर संविदा पर नियुक्त किया गया। सभी संविदा पर अनुशंसित मोटरयान निरीक्षक के द्वारा दिनांक–31.05.2019 को परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान समर्पित किया गया। वर्त्तमान में कुल 07 सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी संविदा में मोटरयान निरीक्षक के पद पर कार्यरत है, जिनकी संविदा ,अवधि दिनांक–31.05.2021 को समाप्त होने वाली है।

2. मोटरयान निरीक्षक के पर संविदा के आधार नियुक्त संबंधित सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के द्वारा सेवावधि विस्तार से संबंधित आवेदन दिया गया था। जिला परिवहन पदाधिकारियों से प्राप्त गोपनीय अभ्युक्ति के आधार पर उनकी सेवा संतोषजनक पायी गयी। संविदा अवधि विस्तार की शर्त्तों से संबंधित विभागीय आदेश सं०–70, दिनांक–27.05.2019 में अधिकतम दो बार एक–एक वर्ष के लिए सेवावधि विस्तार दिया जाना है।

3. उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निम्न मोटरयान निरीक्षक के पद पर कार्यरत सेवा निवृत्त सैन्य कर्मियों की संविदा अवधि दिनांक–01.06.2021 से अगले 01 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो, तक के लिए विस्तारित की जाती है–

क्र०सं०	मोटरयान निरीक्षक का नाम	गृह जिला	पदस्थापन जिला
1	श्री अरूण कुमार दास	हजारीबाग	धनबाद अ०प्र०–रामगढ़, गोड्डा, साहेबगंज
2	श्री रजनीकांत सिंह	राँची	हजारीबाग
3	श्री अरूण कुमार झा	राँची	खूँटी अ०प्र०–सिमडेगा
4	श्री अशोक कुमार सिंह	सारण, बिहार	गढ़वा अ०प्र०–पलामू
5	श्री बहादुर प्रसाद वर्मा	गिरिडीह	लातेहार अ०प्र०–चतरा
6	श्री नरेन्द्र प्रसाद यादव	भागलपुर, बिहार	देवघर अ०प्र०–जामताड़ा
7	श्री आशीष कुमार महतो	धनबाद	गिरिडीह

4. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। सेवा नियमितीकरण का दावा आपके द्वारा कभी नहीं किया जायेगा। सेवावधि के दौरान प्रतिकूल टिप्पणी एवं किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर बिना कारण बताये नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

D:\Letter\Karyalaya Adesh.docx

5. उपरोक्त सभी मोटरयान निरीक्षक मासिक मानदेय भुगतान हेतु प्रत्येक माह जिला परिवहन पदाधिकारी के माध्यम से अनुपस्थिति विवरणी भेजना सुनिश्चित करेंगे।

प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

21/05/2021

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–परि०वि०(स्था०)–33/2018 474 **/राँची,दिनांक** 21.05.2021

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/परिवहन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव/सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड/उप सचिव/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, परिवहन विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी (स्था०)/लेखा शाखा, परिवहन विभाग/सभी मोटरयान निरीक्षक/उपरोक्त सभी मोटरयान निरीक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/2021

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

D:\Letter\Karyalaya Adesh.docx